फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा मुकाम मालाखेड़ा

मदनलाल .... बनाम .... मो०रा

मुकदमा .... नं. .... सन् ....

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
	22/01/26 पत्रावली पेश हुई। पत्रुसार उप०। बार का कार्य स्थगन है। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यो में व्यस्त है। दिनांक 06/02/26 को पेश हो। रीडर 06/02/26 पत्रावली पेश हुई। पत्रुसार उप.। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि उपरोक्त प्रकरण श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक-24/12/2024 को खारिज फरमाया गया था। प्रार्थी परिवादी अपने निजी कार्य से बाहर चला गया था और अपने उक्त प्रकरण की पैरवी करने के लिए वकील साहब को नियुक्त किया हुआ था। परन्तु दिनांक- 24/12/2024 को वकील साहब किसी दूसरी अदालत में पैरवी करने के कारण श्रीमान के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके। प्रार्थी परिवादी के उक्त प्रकरण को पुनः रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करें। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के जवाब में निम्न तथ्य अंकित किये गये है कि प्रार्थी परिवादी के द्वारा पत्रावली को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	पुन: नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र का अनुवान पूर्ण नहीं लिखा व प्रार्थना पत्र में पक्षकार प्रतिवादीगण का कोई नाम नहीं लिखा गया है, जिससे प्रतिवादीगण किन-किन को सूचना दी गई है, इस तथ्य का पता नहीं लगता है। प्रार्थी परिवादी द्वारा श्रीमान् अदालत में देरी से पेश किया गया है, जिसमें दफा-5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का कोई देरी का उचित कारण पेश नहीं किया गया है। उक्त पत्रावली श्रीमान् रेवेन्यू बोर्ड अजमेर से 6 माह में निस्तारण के आदेश के साथ पुन: सुनवाई हेतु व शीघ्र सुनवाई हेतु आया, किन्तु प्रार्थी अधिवक्ता कभी भी पेशियों पर नहीं आये और करीब, जिसमें श्रीमान न्यायालय द्वारा काफी समय दिये जाने के बाद भी पत्रावली को अदम पैरवी में खारिज फरमाया गया है। उक्त आराजी का बेचान हो चुका है, वहाँ पर मकानात व दुकानात का निर्माण हो चुका है। भूमि का भूमि सम्परिवर्तन व्यवसायिकरण करवा लिया गया है, जिससे भूमि के खरीददार को सूचना दिए बिना पुन: नम्बर पर लिया जाना विधि सम्मत नहीं है,

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा मुकाम मालाखेड़ा

.... बनाम ....

म मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
	न्यायहित मे हाल खरीददार को सुना जाना आवश्यक है, इसलिए प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा के खारिज फरमाया जावे। प्रार्थना पत्र मे उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र बाबत रेस्टोरेशन 30 दिवस की अवधि के अंदर पेश किया गया है, अतः दफा -5 मियाद अधि॰ प्रार्थना पत्र लगाने की आवश्यकता नही पड़ी। विवादित आराजी के खरीददारान को पक्षकार मूल दावा पत्रावली में बनाया जाता है, रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र मे केवल वादपत्र के पक्षकार ही विचारणीय होते हैं। तामील सभी पक्षकारान की पूर्ण हुई है। प्रतिवादी सं॰ 1 फौत हो चुका है तथा उसके सभी वारिसान पत्रावली मे शामिल हैं तथा सभी की तलबी करवायी गयी है। जमीन का सम्परिवर्तन नही हुआ है, सभी आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्टेज में हैं। पत्रावली	

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मे विचाराधीन विवादित आराजी का आगे बेचान हो चुका है, जिसे अप्रार्थीगण ने भी स्वीकारा है। अतः पत्रावली पुनः नम्बर पर ली जानी आवश्यक है। अप्रार्थीगण वकील ने अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत विधि से पेश किया गया है जिसमे वादीगण व अन्य पक्षकारान के शीर्षक का उल्लेख नही है प्रार्थना पत्र लगभग दो माह की देरी से पेश किया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से पत्रावली छः माह में निस्तारण के आदेश प्राप्त हुए हैं, जबकि मूल पत्रावली तीन वर्ष से लगातार वादी की बहस में नियत है। पत्रावली मे विचाराधीन विवादित आराजी का बेचान हो चुका है, खरीददार बोनाफाईड परचेजर है किन्तु प्रार्थना पत्र में उन्हे पक्षकारान नही बनाया गया है, फलस्वरूप यह मुकदमेबाजी को बढ़ावा देगा। वर्तमान में जमीन की मौका स्थिति तब्दील होने के कारण पत्रावली सिविल कोर्ट मे ही विचारणीय है। प्रार्थना पत्र मे प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान को पक्षकार शामिल नही किया गया व ना ही तलब किया गया है। प्रार्थना

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मालाखेड़ा

मुकाम मालाखेड़ा

.... बनाम ....

नाम मुकदमा .... नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म को तामील में जारी हुए।
	पक्ष में वर्तमान मौका रिपोर्ट ली जावे। भूमि का सम्परिवर्तन हो चुका है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थीगण वकील ने अपने जवाब के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजात पेश किये गये :- 1.) प्रार्थना पत्र व्यावसायिकरण आवासीय भूमि हेतु सम्परिवर्तन फॉर्म 2.) नकल रजि. ख. सं. 300 रकबा -0.24 है. 30/10/2025 3.) नकल रजिस्ट्री दिनांक - 30/10/2025 प्रार्थना पत्र व जवाब का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष की बहस पर मनन किया चूंकि प्रार्थी / वादी द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत् रेस्टोरेशन नियत अवधि में पेश किया गया है तथा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक - 21/09/2022 को पत्रावली को छः माह में निस्तारण के आदेश दिये हैं, फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	स्वीकार किया जाकर वादपत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाता है तथा प्रार्थी/वादी को आदेशित किया जाता है कि पत्रावली में विचाराधीन विवादित आराजी के नवीन क्रेतागण अर्थात् सभी हकधारियों को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली कैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न रहे।
	Hop